दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय की तिथि: 16.01.2024

<u>आ.प्र.अ. (वाणि.) 199/2022, सि.वि. 53723/2022 & 53755/2022</u>

दिल्ली पर्यटन और परिवहन
विकास निगम लिमिटेड (डीटीटीडीसी) ..... अपीलार्थी

के माध्यम से: श्री परविंदर चौहान और सुश्री आकृति गर्ग, अधिवाक्तागण के साथ श्री राम निवास, एल.ओ.।

बनाम

सुनहरी बाग कंस्ट्रक्शन
प्राइवेट लिमिटेड ..... प्रत्यर्थी

के माध्यम से: श्री अविनाश त्रिवेदी, श्री रिदम नागपाल, और श्री प्रदीप गहलोत, अधिवक्ता।

कोरम:
माननीय श्री न्यायमूर्ति विभु बाखरू
माननीय श्री न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा

<u>न्या. विभु बाखरू</u>

1. अपीलकर्ता ने विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 26.11.2022 (इसके बाद **'आक्षेपित आदेश'**) के आदेश को आक्षेपित करते हुए वर्तमान अपील दायर की जिससे मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत अपीलकर्ता का आवेदन (इसके बाद **'एएंडसी अधिनियम'**) मू.वि.या. (वाणि.) 46/2022 शीर्षक ***दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम (डीटीटीडीसी) बनाम सुनहरी बाग कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड***, खारिज कर दिया गया था।

2. अपीलकर्ता के आवेदन को क्षेत्रीय अधिकारिता की कमी के आधार पर खारिज कर दिया गया था। अपीलकर्ता ने उपरोक्त आवेदन दायर किया था जिसके द्वारा दिनांक 13.08.2022 का एक मध्यस्थ पंचाट (इसके बाद '**आक्षेपित पंचाट')** आक्षेपित किया जो रजोकरी, नई दिल्ली में आपदा प्रबंधन और प्रशिक्षण केन्द्र के निर्माण/सृजन के लिए संविदा के संबंध में पक्षकारों के बीच उत्पन्न विवाद के संदर्भ में है।

3. विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय ने माना था कि उसके पास अपीलकर्ता के आवेदन पर आक्षेपित पंचाट को क्षेत्रीय अधिकारिता के अभाव के आधार पर अपास्त करने हेतु विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। उक्त निष्कर्ष इस आधार पर आधारित था कि विद्वान माध्यस्थम न्यायाधिकरण ने गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में कार्यवाही की थी और आक्षेपित पंचाट पर गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में उनके द्वारा हस्ताक्षर भी किए गए हैं। विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय ने मध्यस्थता खंड (अनुबंध पर लागू जीसीसी के खंड सं.

25) को नोट किया बशर्ते कि मध्यस्थता का स्थान ऐसे स्थान पर होगा जैसा कि विद्वान मध्यस्थ द्वारा तय किया जा सकता है। न्यायालय ने माना कि चूंकि मध्यस्थता खंड ने मध्यस्थता की सीट को निर्दिष्ट नहीं किया था और इसे विद्वान मध्यस्थ द्वारा तय किया जाना बाकी था इसलिए मध्यस्थता की सीट इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश थी। यह निष्कर्ष इस आधार पर भी निकाला गया कि विद्वान एकमात्र मध्यस्थ ने इंदिरापुरम, गाजियाबाद, यूपी में अपने निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कार्यवाही का संचालन किया था।

4. अपीलकर्ता ने इस न्यायालय का ध्यान विद्वान मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा पारित 29.10.2020 के प्रक्रियात्मक आदेश की ओर आकर्षित किया है जिसमें यह स्पष्ट रूप से माना गया है कि एएंडसी अधिनियम की धारा 20 के तहत मध्यस्थता का स्थान दिल्ली होगा।

5. यह आदेश यह भी इंगित करता है कि इसे पक्षकारों की सहमति से पारित किया गया था। दिनांक 29.10.2020 के आदेश का प्रासंगिक हिस्सा निम्नलिखित है: -

> "7. दोनों पक्षों की सहमति से यह निर्णय लिया गया कि:
> (क) माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 20 के अनुसार मध्यस्थम का स्थान दिल्ली होगा।

6. यह स्पष्ट है कि विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय ने उक्त आदेश की अनदेखी की है।

7. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निष्पक्ष रूप से कहा कि दिनांक 29.10.2020 का आदेश विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय के संज्ञान में नहीं लाया गया था।

8. वह इस बात पर विवाद नहीं करते हैं कि विशिष्ट निर्णय के मद्देनजर मध्यस्थता का स्थान नई दिल्ली होगा, विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय के पास एएंडसी अधिनियम की धारा 34 के तहत अपीलकर्ता के आवेदन पर विचार करने का क्षेत्रीय अधिकारिता होगा।

9. उपरोक्त के मद्देनजर, आक्षेपित आदेश को अपास्त कर दिया जाता है और अपीलकर्ता का आवेदन मू.वि.या. (वाणि.) 46/2022 होने के कारण विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष उसी स्थिति में बहाल किया जाता है जैसा कि दिनांक 26.11.2022 को प्राप्त हुआ था।

10. पक्षकार आगे की कार्यवाही के लिए दिनांक 05.02.2023 को विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे। विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय से अनुरोध है कि वह उक्त आवेदन को यथाशीघ्र निपटाए।

11. याचिका का निपटान पूर्वोक्त टिप्पणी के साथ किया जाता है। लंबित आवेदन का भी निपटान किया जाता है।

न्या. विभु बाखरू

न्या. रविंदर डुडेजा

16 जनवरी 2024

लाख

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*